

208



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

निगरानी | इतरपुर | प्रकरण क्रमांक: 12018/0705

12018 निगरानी

श्री. राजू के कावराय, कोशी
द्वारा आज 27-1-18 को
प्रस्तुत। प्राप्ति तर्क हेतु
दिनांक 15-2-18 तिथि।

राजस्व मण्डल, ग्वा. 27-1-18

१- मरीसा | पुत्रगण मथुरा

२- कीलता |

३- रखुवा |

४- जाना | पुत्रगण- परसादी

५- जमुना |

६- हरीराम |

समस्त निवासीगण- ग्राम सुहारा, तैहसील धुवारा,
जिला इतरपुर-मध्य प्रदेश।

----- प्राथीगण

बिराध्व

१- धनीराम | पुत्रगण हिमला ।

२- दयाराम |

३- रामरतन | नावालिग पुत्रगण सरिया

४- गोलू | व सम्परस्त माता स्वयं वैवा
| सरिया ।

समस्त निवासीगण- ग्राम सीरा, तैहसील -
बड़ामलाहर, जिला इतरपुर-मध्य प्रदेश।

----- प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिराध्व आदेश एस०डी०ओ० महोदय बड़ामलाहरा,
जिला इतरपुर दिनांकी २७-१२-१७, अन्तर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश
मू-राजस्व संहिता, १९५६ । प्र०क्र० १४१/१५-१६ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्राथी-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की विवाक्ति आशा कानन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/705

भरोसा विरुद्ध धनीराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 141/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-12-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 18/2/2019</p>